न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 176/2021

अनवान : –

1. भागाराम पुत्र रामकुमार जाति धानक निवासी राजपुरिया तहसील नोहर हाल आबादी गुडिया तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. रामकुमार पुत्र मल्लुराम जाति धानक निवासी राजपुरिया तहसील नोहर हाल आबाद गुडिया तहसील नोहर।
2. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा फेफाना तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।
5. कृष्ण कुमार पुत्र जगदीश जाति मेघवाल निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री मांगीलाल देहडू अधिवक्ता **सायल**
श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **गैरसायल**
श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता **गैरसायल स0 1**

निर्णय दिनांकः 03/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 16 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 196/25 की कुल 0.6710 हैक्ट भूमि, रोही मौजा 2 आरएमएस तहसील नोहर के खाता संख्या 206/100 की कुल 0.1893, रोही मौजा 1 आरएमएस तहसील नोहर के खाता संख्या 150/68 की कुल 0.0780 हैक्ट भूमि, रोही मौजा 3 आरएमएस तहसील नोहर के खाता संख्या 112/24 की 0.2699 हैक्ट भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में प्रार्थी के दादा के नाम दर्ज थी उनकी फौतगदी के बाद गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज हुई। उक्त वाद भूमि का प्रार्थी के पिता ने विभाजन करवा लिया। गैरसायल संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण अकेले के वाद भूमि दर्ज है जबकि वाद भूमि पैतृक होने के कारण सायल का गैरसायल संख्या 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। अतः सायल गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज वाद भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा है अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

गैरसायल संख्या 1 जो की सायल से अलग रहता है तथा गलत लोगो की संगत में रहता है कभी भी वादग्रस्त भूमि को फरोख्त कर सकता है अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता हे तो सायल व दावा में दर्ज प्र[illegible] संख्या 2 को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः गैरसायल के खिलाफ इस आ[illegible] जावे की गैरसायल संख्या 1 उक्त वाद भूमि को रहन/बैय व मन्तकिल न [illegible] एवं मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:43:55 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 16 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 196/25, रोही मौजा 2 आरएमएस तहसील नोहर के खाता

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संख्या 206/100, रोही मौजा 1 आरएमएस तहसील नोहर के खाता संख्या 150/68, रोही मौजा 3 आरएमएस तहसील नोहर के खाता संख्या 112/24 में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी संख्या1 इस आशय की जारी की गई कि अप्रार्थी संख्या 1 उक्त वाद भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की तरफ से श्री अधिवक्ता श्री हवासिंह पुनिया उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 5 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया की वाद भूमि में उत्तरदाता ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 23.11.2021 खरीद की है व खरीद की गई भूमि पर उत्तरदाता खरीद के समय से ही काबिज है एवं काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी बैयनामे का नामान्तरण रूकवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो की खारिज योग्य है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में निवेदन किया की उक्त वाद भूमि पूर्व में प्रार्थी के दादा के नाम दर्ज थी उनकी फौतगदी के बाद गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज हुई। गैरसायल संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण अकेले के वाद भूमि दर्ज है जबकि वाद भूमि पैतृक होने के कारण सायल का गैरसायल संख्या 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। अतः जब तक वाद का निस्तारण नही हो जाता तब तक गैरसायल संख्या 1 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा कन्फर्म की जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने बहस में निवेदन किया की पारिवारिकों के दायित्वों की पूर्ती हेतु वाद भूमि का बेचान किया गया है। उत्तरदाता द्वारा समस्त भूमि को बेचान नही किया गया है। पारिवारिक जिम्मेदारी व दायित्यों के निर्वहन हेतु बेचान किया गया है। शेष वाद भूमि बेचने का गैरसायल संख्या 1 को कोई ईरादा नही है अतः गैरसायल संख्या 1 के विरूद्ध जारी स्थगन आदेश को निरस्त किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 5 ने बहस में निवेदन किया की उत्तरदाता ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 23.11.2021 खरीद की है व खरीद की गई भूमि पर उत्तरदाता खरीद के समय से ही काबिज है एवं काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी बैयनामे का नामान्तरण रूकवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो की खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:43:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि है। सायल द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी के अनुसार गैरसायल संख्या के चारो खातों की कुल 1.2082 हैक्ट भूमि दर्ज है। गैरसायल संख्या 5 द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 23.11.2021 की चित्रप्रति के मुताबिक गैरसायल संख्या 5 ने गैरसायल संख्या 1 से रोही मौजा 3 आरएमएस तहसील नोहर के खाता संख्या 112/24 की 0.2699 हैक्ट भूमि समस्त प्रतिफल देकर खरीद की है अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा आज दिनांक तक प्रभावी है तथा प्रार्थी द्वारा उक्त बैयनामा के खंडन में भी कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कथन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा समस्त भूमि का बैचान नही किया गया है सिर्फ 0.2699 हैक्ट भूमि का बैचान पारिवारिक दायित्वों/कारणों को पुरा करने के लिए किया गया है। गैरसायल संख्या 1 के नाम चारों खातो में की कुल 1.2080 हैक्ट भूमि में से 0.2699 हैक्ट भूमि का ही बैचान किया गया है न की समस्त भूमि का जिससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि का बेचान अपने पारिवारिक दायित्वो हेतु किया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा समस्त प्रतिफल देकर वाद भूमि खरीद कि गई है अगर रोही मौजा 3 आरएमएस तहसील नोहर के खाता संख्या 112/24 की 0.2699 हैक्ट भूमि में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी एवं शेष वाद भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी। अतः प्रथम दृष्टयया मामला व सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल व गैरसायलान दोनो के पक्ष में बनते है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा 16 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 196/25, रोही मौजा 2 आरएमएस तहसील नोहर के खाता संख्या 206/100, रोही मौजा 1 आरएमएस तहसील नोहर के खाता संख्या 150/68 वाद भूमि की न्यायालय मे विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं रोही मौजा 3 आरएमएस तहसील नोहर के खाता संख्या 112/24 मे दिनांक 02.11.2021 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को खारीज किया जाता है। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 03/06/24 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:43:55 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर